भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 630
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त करना

630. श्री गोपाल शेट्टी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कई राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणापत्र में जनता से लोकलुभावन वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद उन्हें पूरा नहीं करते हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने चुनाव के दौरान मतदाताओं से झूठे और लोकलुभावन वादे करने वाले ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाया है अथवा कोई कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : जी, नहीं । राजनैतिक दलों द्वारा किए गए वादों की निगरानी के लिए निर्वाचन विधियों में कोई उपबंध नहीं है ।

(ख) और (ग) : भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने यह सूचित किया कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । तथापि, उच्चतम न्यायालय ने 2008 की एसएलपी (सी.) संख्या 21455, तारीख 5 जुलाई, 2013 में अपने निर्णय/आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ भारत निर्वाचन आयोग को इस संप्रेक्षण साथ कि ' इस वास्तविकता को खारिज नहीं किया जा सकता कि किसी भी प्रकार का निशुल्क वितरण निःसंदेह सभी लोगो को प्रभावित करता है' आदर्श आचार संहिता के भाग के रुप में सम्मिलित किए जाने वाले निर्वाचन घोषणा पत्र पर दिशानिर्देश बनाने के लिए निदेश दिया था । यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के मूल को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है।

भारत निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त के निदेशों को ध्यान में रखते हुए और राजनैतिक दलों के साथ परामर्श करके, मुक्त और निष्पक्ष निर्वाचनों के हित में आदर्श आचार संहिता में भाग 8 सम्मिलित किया है जो यह उपबंध करता है कि राजनैतिक दल और अभ्यर्थी, संसद या राज्य विधान सभाओं के किसी निर्वाचन में निर्वाचन घोषणा पत्र जारी करते समय निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करेंगेः-

(i) निर्वाचन घोषणापत्र में संविधान में निहित आदर्शों और सिद्धान्तों के प्रतिकूल कुछ भी नहीं होगा और यह कि वह आदर्श आचार संहिता के स्वरुप और सामग्री के अनुरुप होगा ।

(ii) संविधान में निहित राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य को नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय करने का व्यादेश देते है और इसलिए निर्वाचन घोषणापत्र में ऐसे कल्याणकारी उपायों का वादा करने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं हो सकती । तथापि, राजनैतिक दलों को उन वादों को करने से बचना चाहिए, जो निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता को दूषित करते है या जिनसे मतदाताओं पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने में अनुचित प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(iii) पारदर्शिता, समान अवसर और वादों की विश्वसनीयता के हित में, यह उम्मीद की जाती है कि घोषणापत्र वादों के औचित्य को दर्शाते है और मोटे तौर पर इसके लिए वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के तरीकों और साधनों का संकेत देते है । मतदाताओं का विश्वास उन्ही वादों पर मांगा जाना चाहिए जिन्हे पूरा किया जा सकता है ।

****